कुमार मनीष,
झा०प्र०से०
मा० मंत्री के आप्त सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय
झारखण्ड मंत्रालय,
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।
मो०— 09431772463
09334437779
फैक्स—0651—2401023 (o)
0651--2482455 (R)

पत्रांक: — 1541 / मं०नि०का० दिनांक : 26/12/2017.

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,
झारखण्ड, रॉची।

विषयः— माननीय मंत्री, श्री सरयू राय संसदीय कार्य तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ई—मेल से प्राप्त पत्र प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि माननीय मंत्री श्री सरयू राय संसदीय कार्य तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग आज दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को राज्य से बाहर है। माननीय मंत्री से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार और ई—मेल से प्राप्त पत्र, माननीय मुख्यमंत्री को सम्बोधित है। पत्र पशुपालन घोटाले के बारे में C.B.I के द्वारा तत्कालीन उपायुक्त, चाईबासा, श्रीमती राजबाला वर्मा के मामले में लिखे निर्देश पर कार्रवाई से संबंधित है, संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

Kmanish
26/12/17
(कुमार मनीष)
माननीय मंत्री के आप्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
संसदीय कार्य-सह
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

माननीय मुख्यमंत्री जी,

विगत २३ दिसंबर २०१७ को सीबीआई न्यायालय ने पशुपालन घोटाला के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुये वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त को भी स्पष्टीकरण देने के लिये कहा है. इस परिप्रेक्ष्य में विश्वसनीय स्रोतों से मुझे जानकारी मिली है कि पशुपालन घोटाला के एक अन्य मामले की जांच के क्रम मे ऐसा ही निर्देशात्मक प्रतिवेदन सीबीआई ने झारखंड सरकार को काफी पहले भेजा है जिसमें चाईबासा कोषागार से की गई कपटपूर्ण अवैध निकासी के संबंध मे वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती राजबाला वर्मा, जो सम्प्रति राज्य की मुख्य सचिव हैं, पर अनुशासनिक कारवाई चलाने के लिये कहा गया है.

सीबीआई द्वारा झारखंड सरकार को प्रेषित इस प्रतिवेदन मे कहा गया है कि 'श्रीमती वर्मा ३०.११.१९९० से ३०.१२.१९९१ तक प० सिंहभूम, चाईबासा की उपायुक्त थीं. इस दौरान श्रीमती वर्मा द्वारा कोषागार का निरीक्षण नही करने, कोषागार से हो रहे व्यय की मासिक विवरणी महालेखाकार को नही भेजने और कोषागार के कार्यकलापों पर यथोचित निगरानी नही रखने के कारण चाईबासा कोषागार से गलत निकासी हुई है. अतः इन पर सरकार द्वारा उपयुक्त अनुशासनिक कारवाई की जानी चाहिये.

सीबीआई प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक कारवाई चलाने के लिये झारखंड सरकार के विभिन्न मुख्य सचिवों ने २६.०८.२००३ से २४ मार्च २०१४ के बीच कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिये कम से कम १५ बार श्रीमती वर्मा को स्मारित किया है. परंतु आश्चर्य है कि उन्होने एक भी स्मार पत्र का जवाब नही दिया. फलतः पशुपालन घोटाला में उनपर लगे आरोपों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने एवं अग्रेतर जांच कर उपयुक्त कारवाई करने की प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई है.

यह जांच का विषय है कि घोटाला के एक चर्चित मामले में बार बार स्मारित किये जाने के बावजूद संबंधित आरोपी अधिकारी ने स्पष्टीकरण क्यों नही दिया और बार बार स्मारपत्र देकर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते रहने के बदले सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके विरुद्ध कोई

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2482455, फैक्स : 0651-2401023, मो. : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

कार्रवाई क्यों नही की गई? इस बारे मे जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये. अन्यथा राज्य में स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन के हमारे दावे पर सवालिया निशान खड़ा होगा और राज्य की छवि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा.

आपको मालूम है कि ऑल इंडिया सर्विसेज डिस्प्लिनरी रूल्स–१९६९ के नियम–९ की विभिन्न कंडिकाओं मे किसी आरोपी अधिकारी के विरुद्ध लगे आरोप के बारे में जांचोपरांत अनुशासन की प्रशासनिक कारवाई चलाने की विहित प्रक्रिया वर्णित है. इसके अनुसार सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा माँगे जाने पर आरोपी अधिकारी को १५ दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है ताकि स्पष्टीकरण के आलोक में आरोप के जांचोपरांत उनके विरुद्ध उपयुक्त दंड का निर्धारण किया जा सके.

परंतु आश्चर्य है कि स्पष्टीकरण माँगने के १५ दिनों की जगह १५ वर्ष पूरा होने को है, पर इस मामले मे कई स्मार पत्र जारी होने के बावजूद आरोपी अधिकारी ने स्पष्टीकरण का जवाब तक नही दिया. बिडम्बना है कि अब तो वे स्वयं राज्य की मुख्य सचिव हैं और कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्ति होनेवाली हैं. पशुपालन घोटाला जैसे संगीन मामले मे राज्य के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी के ऐसे आचरण से लॉबे समय तक कानून की उपेक्षा एवं अवहेलना करत् रहने का जो अस्वस्थ संदेश जनमानस में जा रहा है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते है.

मेरा सुझाव है कि इस प्रसंग मे आपके स्तर से मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा को निर्देश दिया जाना चाहिये कि वे राज्य के पूर्ववर्ती मुख्य सचिवों द्वारा पर पशुपालन घोटाला मे चाईबासा ट्रेजरी से हुई कपटपूर्ण निकासी के संदर्भ मे समय समय पर पूछे गये स्पष्टीकरण का शीघ्रातिशीघ्र जवाब दें ताकि समय सीमा के भीतर इस मामले का विधिसम्मत निष्पादन हो सके और कानून एवं सुशासन के मर्यादा की रक्षा की जा सके.
साथ ही उनसे यह भी पूछा जाना चाहिये कि उन्होने राज्य प्रशासन के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण का तथा इस बारे में भेजे गये डेढ़ दर्जन से अधिक स्मारपत्रों का समय पर जवाब क्यों नहीं दिया ?

स्मरण रहे कि कानून के राज में कोई भी कानून से उपर नही है और कानून का उलंघन करने वाला समुचित दंड का भागी होता है चाहे वह शासकीय अथवा नागरीय व्यवस्था में कितना भी शक्तिशाली और प्रभावशाली पद पर क्यों नही हो. शासन में व्यक्ति कानून–व्यवस्था से उपर नही होता है. व्यक्ति व्यवस्था का संचालन कर सकता है व्यवस्था का विकल्प नही हो सकता. न्याय का यही सिद्धांत है और यही न्याय की अवधारणा है.

अनुरोध है कि उपर्युक्त के संदर्भ मे आप शीघ्र विधिसम्मत कारवाई करना चाहेंगे.

सादर,

सरयू राय
२६.१२.२०१७

Scanned with OKEN Scanner